FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0012 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 09/05/2023 18:10 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	201
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	420
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/05/2023 **Time (समय):** 17:55 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 09/05/2023 17:55 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 7 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गांव सोतई,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** INSP RAJ KUMAR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 28/10/1971 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS ACB FBD, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS ACB FBD, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9253383115

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	कंवर पाल तत्कालीन सरपंच		Father's Name: श्री रणजीता	1. ग्राम पंचायत सोतईजिला फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
2	श्रीमोहरसिंहतत्कालीन ग्रामसचिव			1. ग्राम सोतई जिला फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,

प्रबन्धक अफसर,
थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद ।

श्रीमान जी,

जांच क्रमांक न0 03 दिनांक 06.03.2019 फरीदाबाद अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 61/03/2019-2 चौकसी-II दिनांक 25.02.2019 की अनुपालना मे महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला कार्यालय मे दर्ज रजिस्टर होकर उनके कार्यालय के पृ0क्रमांक 3710/1-2/SVB(H) Date 07.03.2019 के अनुसार श्री सुभाष पुत्र श्री सन्ती सिंह निवासी गांव सोतई तहसील बल्लबगढ जिला फरीदाबाद की शिकायत में लगाये गये निम्नलिखित आरोप की जांच की जानी थीः-

आरोप नं0 1:- प्रतिवादी श्री कुंवरपाल सरपंच ने जे0ई0 से एस्टीमेट बनवाकर जमा सावधी से 5 करोड रूपये खातो मे डलवाकर निकलवा लिये जबकि धरातल पर कोई भी विकास कार्य जनहित मे नही करवाया जाने बारे । ग्राम पंचायत सोतई में जमा 10 करोड रू की सावधी को सरपंच कुवर पाल, बी0डी0पी0ओ0 श्रीमती पूजा व ग्राम सचिव श्री मोहर सिंह ने मिलीभगत करके जमा सावधी का 5 करोड रू खाते में डालकर निकाल लिये ।

आरोप नं0 2:- शिकायतकर्ता सुभाष चन्द द्वारा सरपंच कुवर पाल द्वारा करवाये गये विकास कार्यो बारे आर0टी0आई0 मांगने पर तत्कालीन बी0डी0पी0ओ0 द्वारा आर0टी0आई0 का जवाब समय पर नही दिया और बाद में सूचना आयोग हरियाणा चण्डीगढ को रिकार्ड गुम होने बारे सूचना भेजी गई। प्रतिवादी कुंवरपाल सरपंच द्वारा दिनांक 08.08.2018 को थाना सदर बल्लभगढ मे पंचायत का समस्त रिकार्ड जिसमे कार्यवाही रजिस्टर मार्च 2016 से 08.08.2018 तक, पंचायत फंड, एफ.एफ.सी फंड व एच.आर.डी.एफ. फंड की कैस बुक, बाउचर फाईल, स्टाक रजिस्टर, एम.बी. वर्क रजिस्टर मार्च 2016 से 08.08.2018 तक, रसीद बुक फार्म 04 मार्च 2016 से 08.08.2018 तक एक पटटा रजिस्टर मार्च 2016 से दिनांक 08.08.2018, गृहकर रजिस्टर व निरीक्षक पुस्तिका मार्च 2016 से 08.08.2018 तक, सभी फंडो की बैन्क पास बुक, चैक बुक, एफ डी आर मार्च 2016 से 08.08.2018 की गुमसुदगी के सम्बन्ध मे झूठी लिखाई गई डी0डी0 लिखाई गई।

पडताल के दौरान प्राप्त किये गये कथनो व प्रलेखो के अवलोकन से पाया गया कि आरोप नं0 1 में प्रतिवादी कवरपाल माह जनवरी 2016 से माह मार्च 2021 तक बतौर सरपंच, ग्राम पंचायत सोतई, तहसील बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद होना पाया गया। प्रतिवादी कवरपाल के उपरोक्त कार्यकाल में ग्राम पंचायत सोतई में ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये विभिन्न विकास कार्यो बारे कार्यालय जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी फरीदाबाद से रिकार्ड मांगा गया, जिस पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 1108/पंचायत दिनांक 07.06.2022 अनुसार तत्कालीन सरपंच ग्राम सोतई द्वारा ग्राम पंचायत का रिकार्ड गुम होने बारे एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने तथा ग्राम पंचायत सोतई का नगर निगम फरीदाबाद में समायोजित होने पर सरकार के आदेशानुसार दिनांक 28.07.2021 को सरपंच द्वारा जो भी रिकार्ड उपलब्ध करवाया गया, उसे नगर निगम फरीदाबाद में जमा करवाने बारे रिपोर्ट दी गई ।

जांच में प्रतिवादी कवरपाल द्वारा दिनांक 08.08.2018 को ग्राम पंचायत सोतई का रिकार्ड लेकर मोटरसाईकिल पर बी0डी0पी0ओ0 कार्यालय बल्लबगढ जाते समय रास्ते में की गिर जाने पर थाना सदर बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में रपट नं0 9 दिनांक 08.08.2018 अनुसार रिकार्ड गुमशुदगी बारे रिपोर्ट दर्ज करानी पाई गई। पडताल पर प्रतिवादी कवरपाल सरपंच के विरूध थाना सदर बल्लबगढ जिला फरीदाबाद में प्रतिवादी कवरपाल व उसके परिवार के सदस्यों के विरूध मार-पीट, लडाई-झगडे के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट नं0 97 दिनांक 12.04.2014 व 161 दिनांक 01.05.2016, 269 दिनांक 04.06.2018, 181 दिनांक 09.04.2019, 124 दिनांक 11.03.2020 व 356 दिनांक 06.10.2020 तथा 345 दिनांक 31.08.2021 दर्ज होने पाये गये है। जो वर्तमान में अभियोग संख्या 345 दिनांक 31.08.2021 जेरधारा 147, 148, 149, 364, 302, 120बी भा0द0स0 व 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सदर बल्लबगढ में प्रतिवादी कवरपाल अपने परिवार सहित बन्द नीमका जेल फरीदाबाद है । प्रतिवादी कवरपाल व उसके परिवार के सदस्य बेटा, भाई आदि अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है। जिससे साफ प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत सोतई का रिकार्ड प्रतिवादी कवरपाल द्वारा जान-बुझकर गुम किया जाना संभव है ।

पडताल पर पाया गया कि परिवादी सुभाष को ग्राम पंचायत सोतई का रिकार्ड आर0टी0आई0 के माध्यम से कार्यालय

खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बल्लबगढ द्वारा उपलब्ध ना करवाने के सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय फरीदाबाद द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद फरीदाबाद से जांच करवाई जानी पाई गई, जिस पर जांच अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सोतई के सरपंच कवरपाल को आर0टी0आई0 में मांगा गया रिकार्ड जान बुझकर उपलब्ध ना करवाने व रिकार्ड गुम करने का दोषी पाया गया तथा तत्कालीन ग्राम सचिव श्री मोहर सिंह द्वारा ग्राम पंचायत का रिकार्ड गुम होने बारे कोई सूचना खण्ड विकास एंव पचायत अधिकारी व राज्य जन सूचना अधिकारी को ना देने का दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त महोदय फरीदाबाद द्वारा सरंपच कवरपाल को निलम्बित किया जाना पाया गया तथा पडताल पर ग्राम सचिव श्री मोहर सिंह भी निलम्बित किया जाना पाया गया ।

पडताल के दौरान प्रतिवादी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत सोतई में विभिन्न 64 विकास कार्यो पर मु0 8,02,80,000/-रू खर्च करने बारे सूचि प्रस्तुत की गई है, परन्तु कार्यालय जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी फरीदाबाद, कार्यालय खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बल्लबगढ व प्रतिवादी कवरपाल से ग्राम पंचायत सोतई में प्रतिवादी के कार्यकाल में करवाये गये विकास कार्यो का कोई रिकार्ड प्राप्त नही हो सका है, जिस कारण विकास कार्यो बारे पुर्णतः तस्दीक नही हो सकी है, फिर भी शिकायतकर्ता सुभाष चन्द की हाजरी में ग्राम पंचायत सोतई मे चिन्हित 19 कार्यो की तकनीकी अधिकारी श्री जय सिंह, उप मण्डल अभियन्ता, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला से दिनांक 16.12.2020 को असैस्मैन्ट करवाई गई, चिन्हित कार्यो 1. जोहड की दीवार टूटी पाई गई 2. सामुदायिक भवन की दीवार पर लगे पत्थर पर सामुदायिक भवन लिखा हुआ पाया गया जबकि भवन के सामने दीवार पर नाम ब्राहमण धर्मशाला लिखा हुआ पाया गया, जो स्थिति स्पष्ट नही हो पाई 3. बागडी चैपाल का निर्माण 2019 में होना बतलाया गया परन्तु मौका पर कार्य प्रगति में पाया गया, 4. एम0जी0जी0वाई0 कालोनी में बने 11 शौचालय जर्जर हालत में होने पाये गये, जो तकनीकी अधिकारी द्वारा पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध ना होने के स्पष्ट तकनीकी राय नही दी गई और भविष्य में पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध होने पर तकनीकी राय लेने बारे निर्देश दिये गये ।

इसके अतिरिक्त पडताल पर ग्राम पंचायत सोतई में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल नं0 1 फरीदाबाद द्वारा करवाये गये विकास कार्यो बारे पत्र क्रमांक 5486 दिनांक 10.06.2022 अनुसार रिपोर्ट प्राप्त हुई । जिसके अवलोकन से पाया गया कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने स्तर पर ग्राम पंचायत सोतई में कुल 68 विकास कार्य करवाये जाने पाये गये है, जिस पर मु0 1,45,41,660/-रू खर्च होने पाये गये है ।

जांच के दौरान ग्राम पंचायत सोतई के एच0डी0एफ0सी0 बैंक शांखा, दुकान नं0 3, क्राऊन काम्पलैक्स, नजदीक 1-2 चैक, तिकोना पार्क, एन0आई0टी0 नं0 2, फरीदाबाद में 04 खाता संख्या 50100135368989, 50100144322750, 50100213195771 व 501002673633605 होने पाये गये, जिनकी बैंक डिटेल प्राप्त की गई, जिनकी पडताल पर प्रतिवादी के कार्यकाल के दौरान एच0डी0एफ0सी0 बैंक के उपरोक्त खाता संख्या 50100135368989 में कुल 12,42,07,751/-रू जमा होने तथा इसमें से कुल 12,39,90,913/-रू की निकासी होनी पाई गई, खाता संख्या 50100144322750 में कुल 35,16,929/-रू जमा होने पाये गये तथा इसमें से कुल 35,15,494/-रू की निकासी की जानी पाई गई, खाता संख्या 50100213195771 में कुल 70,62,913/-रू जमा होने पाये गये तथा इसमें से कुल 63,04,356/-रू की निकासी की जानी पाई गई तथा खाता संख्या 501002673633605 में कुल 20,24,716/-रू जमा होने पाये गये तथा इसमें से कुल 20,00,611/-रू की निकासी की जानी पाई गई । उपरोक्त चारों खातों में प्रतिवादी के कार्यकाल के दौरान कुल 13,68,12,309/-रू जमा होने पाये गये व इनमे से कुल 13,58,11,374/-रू की निकासी की जानी पाई गई। जो कुल 10,00,935/-रू बकाया रहने पाये गये ।

उपरोक्त खातों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत सोतई के पी0एन0बी0 बैंक शांखा, बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद में 04 खाता संख्या 0036000102054948, 0167000101272421, 0036000102006473 व 0036000102063937 होने पाये गये, जिनकी बैंक डिटेल प्राप्त की गई, पडताल पर प्रतिवादी के कार्यकाल के दौरान पी0एन0बी0 बैंक के उपरोक्त खाता संख्या 0036000102054948 में कुल 48,86,485/-रू जमा होने तथा इसमें से कुल 48,62,034/-रू की निकासी होनी पाई गई, खाता संख्या 0167000101272421 में कुल 6,95,49,738/-रू जमा होने तथा इसमें से कुल 6,95,26,903/-रू की निकासी होनी पाई गई, खाता संख्या 0036000102006473 में कुल 31,57,048/-रू जमा होने तथा इसमें से कुल 30,71,083/-रू की निकासी होनी पाई गई तथा खाता संख्या 0036000102063937 में कुल 1,14,66,050/-रू जमा होने तथा इसमें से कुल 97,24,383/-रू की निकासी होनी पाई गई। उपरोक्त चारों खातों में प्रतिवादी के कार्यकाल के दौरान कुल 8,90,59,321/-रू जमा होने पाये गये व इनमे से कुल 8,71,84,403/-रू की निकासी की जानी पाई गई। जो कुल 18,74,918/-रू बकाया रहने पाये गये। ग्राम पंचायत सोतई के एच0डी0एफ0सी0 बैंक व पी0एन0बी0 बैंक के उपरोक्त

खातों में प्रतिवादी के कार्यकाल के दौरान कुल 22,58,71,630/-रू जमा होने पाये गये व इनमे से कुल 22,29,95,777/-रू की निकासी की जानी पाई गई। जो कुल 28,75,853/-रू बकाया रहने पाये गये ।

जांच के दौरान अंकित किये गये कथनो व हासिल किये गए प्रलेखो व की गई पडताल से पाया गया है कि प्रतिवादी कवरपाल के सरपंच पद के कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत सोतई के एच0डी0एफ0सी0 बैंक व पी0एन0बी0 बैंक के उपरोक्त खातों से निकाली गई रकम मु0 22,29,95,777/-रू बारे कोई जवाब नही दे पाया है। ग्राम पंचायत सोतई का रिकार्ड प्रतिवादी कवरपाल द्वारा जान-बुझकर खुर्द-बुर्द करने की नीयत से गुम किया गया है, ताकि गबन का खुलासा ना हो सके। जिस बारे तत्कालीन ग्राम सचिव श्री मोहर सिंह को ज्ञान होने पर भी जान-बुझकर खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी व अन्य उच्च अधिकारियों को सूचना ना देकर इस अपराधिक कार्य में प्रतिवादी कवरपाल का सहयोग किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत गांव सोतई में करवाये गये विकास कार्यो की सूचि जिसमें विकास कार्यो पर खर्च मु0 8,02,80,000/-रू को ग्राम पंचायत के खाता से निकाली गई राशि 22,29,95,777/-रू में से निकाल दिया जाये तो मु0 14,27,15,777/-रू का साफ तौर पर गबन होना पाया गया है। जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विकास कार्यो की सूचि जिसमें विकास कार्यो पर मु0 8,02,80,000/-रू खर्च किये जाने दर्शाये है, इस सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। जिनके बारे ग्राम सोतई के वासीयान भी प्रतिवादी कवरपाल द्वारा दर्शाये गये विकास कार्यो से संतुष्ट नही है। अतः प्रतिवादी कंवर पाल, तत्कालीन सरपंच पुत्र श्री रणजीता निवासी ग्राम पंचायत सोतई, तहसील बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद द्वारा गांव सोतई की पंचायत रिकार्ड को खुर्द बुर्द करने की नीयत से गुम करने व ग्राम पंचायत सोतई की पंचायत राशि मु0 14,27,15,777/-रू का साफ तौर पर गबन करने तथा इस अपराधिक षडयंत में श्री मोहर सिंह तत्कालीन ग्राम सचिव सोतई जिला फरीदाबाद द्वारा सरकारी कर्मचारी होते हुये प्रतिवादी कवरपाल का साथ देने पर इनके विरूद्ध अपराध जेरधारा 409, 420, 201, 120बी भा0द0स0 व 13(1)(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन अभियोग अंकित करने व अनुसंधान के दौरान ग्राम पंचायत सोतई में प्रतिवादी कवरपाल सरपंच के कथनानुसार उसके द्वारा करवाये गये मु0 8,02,80,000/-रू के विकास कार्यो को भी जांच करने तथा इन आरोपो के सम्बन्ध में प्रतिवादी कवरपाल तत्कालीन सरपंच व श्री मोहर सिंह तत्कालीन ग्राम सचिव के अतिरिक्त कार्यालय खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी के अधिकारियों/कर्मचारियों, फर्म धारक या अन्य प्राईवेट व्यक्ति की मिलीभगत पाई जावे तो उसे भी अनुसंधान के दौरान शामिल तफतीश करने का सुझाव दिया गया था ।

आरोप न0 2 में परिवादी सुभाष द्वारा दिनांक 05.03.2018 को आर0टी0आई0 के माध्यम से खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बल्लबगढ से ग्राम पंचायत सोतई में सरपंच कवरपाल द्वारा करवाये गये विकास कार्यो बारे रिकार्ड उपलब्ध करवाने बारे सूचना मांगी गई। जिस पर कार्यालय खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बल्लबगढ द्वारा पत्र क्रमांक 1796 दिनांक 09.03.2018 अनुसार आर0टी0आई0 कवरपाल तत्कालीन सरपंच तथा सहायक जन सूचना अधिकारी श्री मोहर सिंह ग्राम सचिव को भेजी जानी पाई गई। इसके पश्चात कार्यालय खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बल्लबगढ द्वारा पत्र क्रमांक 1866-67 दिनांक 12.04.2018 अनुसा सरपंच एंव ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सोतई को दिनांक 16.04.2018 को खंड कार्यालय बल्लबगढ में प्रथम अपील की सुनवाई हेतू उपस्थित होने हेतू पाबंद किया जाना पाया। इसके पश्चात पत्र क्रमांक 1869-70 दिनांक 16.04.2018 के तहत कार्यालय खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बल्लबगढ द्वारा बतौर प्रथम अपीलीय अधिकारी दोनो पक्षो की उपस्थिती में अपील पर सुनवाई की जानी पाई गई, जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत सोतई को प्रतिवादी श्री सुभाश द्वारा मांगी गई सभी सूचना एक सप्ताह के अंदर अंदर उपलब्ध कराने के आदेश दिये गऐ उसे यह भी आदेश दिया गया कि यदि उक्त सूचना एक सप्ताह के अंदर अंदर उपलब्ध नही कराई गई तो माननीय राज्य सूचना आयोग चण्डीगढ द्वारा जो भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उसके लिये वह स्वंय जिम्मेवार होगा। पडताल पर उस समय ग्राम सरपंच व ग्राम सचिव द्वारा रिकार्ड गुम होने बारे सूचना नही दी जानी पाई गई। शिकायतकर्ता द्वारा आर0टी0आई0 कमीशन चण्डीगढ में भी अपील दायर की गई। जिसमें प्रथम अपीलेट अथोरिटी-कम-खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बल्लबगढ द्वारा राज्य जन सूचना आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ को पत्र क्रमांक 2120 दिनांक 14.09.2018 अनुसार आर0टी0आई0 में की गई कार्यवाही बारे अवगत कराया जाना पाया गय तथा पत्र क्रमांक 2121 दिनांक 14.09.2018 अनुसार श्री मोहर सिंह ग्राम सचिव को दिनांक 21.09.2018 को रिकार्ड लेकर राज्य जन सूचना आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ के समक्ष कोर्ट में पेश होने बारे पाबन्द किया जाना पाया गया। जो पडताल पर कार्यालय खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बल्लबगढ के लगातार पत्राचार करने पर भी ग्राम सरपंच कवरपाल व ग्राम सचिव श्री मोहर सिंह द्वारा आर0टी0आई0 का स्पश्ट जवाब नही दिया गया। जिस सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय फरीदाबाद द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद फरीदाबाद से जांच करवाई जानी पाई गई, जिसपर जांच

अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सोतई के सरपंच कवरपाल को आर0टी0आई0 में मांगा गया रिकार्ड जान बुझकर उपलब्ध ना करवाने व रिकार्ड गुम करने का दोशी पाया गया तथा तत्कालीन ग्राम सचिव श्री मोहर सिंह द्वारा ग्राम पंचायत का रिकार्ड गुम होने बारे कोई सूचना खण्ड विकास एंव पचायत अधिकारी व राज्य जन सूचना अधिकारी को ना देने का दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त महोदय फरीदाबाद द्वारा सरंपच कवरपाल को निलम्बित किया जाना पाया गया। पडताल पर ग्राम सचिव श्री मोहर सिंह भी निलम्बित किया जाना पाया गया ।

जांच में प्रतिवादी कवरपाल द्वारा थाना सदर बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में रपट नं0 9 दिनांक 08.08.2018 अनुसार रिकार्ड गुमशुदगी बारे रिपोर्ट दर्ज करानी पाई गई, जो गुमशुदगी रिपोर्ट में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 08.08.2018 को ग्राम पंचायत सोतई का रिकार्ड लेकर मोटरसाईकिल पर बी0डी0पी0ओ0 कार्यालय बल्लबगढ जाते समय रास्ते में रिकार्ड कही गिर जाने पर गुम होना दर्ज कराया जाना पाया गया। जो गुमषुदगी रिपोर्ट प्रलेख फाईल पृ0 11 पर लगी देखी जा सकती है। जिस सम्बन्ध में थाना सदर बल्लबगढ जाकर पडताल की गई और मोहरर थाना सदर बल्लबगढ प्रधान सिपाही सोहन सिंह नं0 1139/फरीदाबाद का कथन अंकित किया गया। इसके अतिरिक्त पडताल पर प्रतिवादी कवरपाल सरपंच के विरूध थाना सदर बल्लबगढ जिला फरीदाबाद में प्रतिवादी कवरपाल व उसके परिवार के सदस्यों के विरूध मार-पीट, लडाई-झगडे के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट नं0 97 दिनांक 12.04.2014 व 161 दिनांक 01.05.2016, 269 दिनांक 04.06.2018, 181 दिनांक 09.04.2019, 124 दिनांक 11.03.2020 व 356 दिनांक 06.10.2020 तथा 345 दिनांक 31.08.2021 दर्ज होने पाये गये है। जो वर्तमान में अभियोग संख्या 345 दिनांक 31.08.2021 जेरधारा 147, 148, 149, 364, 302, 120बी भा0द0स0 व 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सदर बल्लबगढ में प्रतिवादी कवरपाल अपने परिवार सहित बन्द नीमका जेल फरीदाबाद है। जो सम्बन्धित प्र0फा0पृ0 127-189 तक लगे देखे जा सकते है। प्रतिवादी कवरपाल व उसके परिवार के सदस्य बेटा, भाई आदि अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है। जिससे साफ प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत सोतई का रिकार्ड प्रतिवादी कवरपाल द्वारा जान-बुझकर गुम किया गया है, ताकि गबन का खुलासा ना हो सके। इस सम्बन्ध में निष्कर्ष आरोप नं0 1 में पहले ही प्रतिवादी कंवर पाल, तत्कालीन सरपंच पुत्र श्री रणजीता निवासी ग्राम पंचायत सोतई, तहसील बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद द्वारा गांव सोतई की पंचायत रिकार्ड खुर्द बुर्द करने की नीयत से गुम करने व ग्राम पंचायत सोतई की पंचायत राषि मु0 14,27,15,777/-रू का साफ तौर पर गबन करने तथा इस अपराधिक षडयंत्र में श्री मोहर सिंह तत्कालीन ग्राम सचिव सोतई जिला फरीदाबाद द्वारा सरकारी कर्मचारी होते हुये प्रतिवादी कवरपाल का साथ देने पर इनके विरूद्ध अपराध जेरधारा 409, 420, 120बी भा0द0स0 व 13(1)(सी) भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया गया था ।

जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 61/03/2019-2टसस दिनांक 21.04.2023, महानिदेशक भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृश्ठांकन क्रमांक 7235/आई-2/एस0वी0बी0(ह0) दिनांक 27.04.2023 के अनुसार जांच रिपोर्ट में आरोप नं0 1 व आरोप न0 2 में दिये गये सुझाव अनुसार उपरोक्त आरोपियान के विरूद्ध 409, 420, 201, 120बी भा0द0स0 व 13(1)(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने व तफतीश के दौरान पंचायती राज फरीदाबाद के अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी व किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्पता पाई जाती है तो उसे अभियोग की तफतीश के दौरान देख लिये जाने तथा अनुसंधान के दौरान ग्राम पंचायत सोतई में प्रतिवादी कवरपाल सरपंच के कथनानुसार उसके द्वारा करवाये गये मु0 8,02,80,000/-रू के विकास कार्यो को भी जांच करने बारे आदेष प्राप्त हुये है ।

आरोप न0 1 व 2 के अनुसार कंवर पाल, तत्कालीन सरपंच पुत्र श्री रणजीता निवासी ग्राम पंचायत सोतई, तहसील बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद व श्री मोहर सिंह तत्कालीन ग्राम सचिव सोतई जिला फरीदाबाद के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अकिंत किया जावे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जावे तथा अनुसंधान के दौरान ग्राम पंचायत सोतई में प्रतिवादी कवरपाल सरपंच के कथनानुसार उसके द्वारा करवाये गये मु0 8,02,80,000/-रू के विकास कार्यो को भी जांच करने बारे तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सिपाही प्रीतम नं0 2076/फरीदाबाद के अरसाल थाना है। अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। अभियोग आगामी अनुसंधान हेतू श्रीमान पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद के आदेशानुसार निरीक्षक सोरन लाल, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद को भिजवाया जावे । सम्बन्धित रिकार्ड साथ सलंग्न है । स्थान:- थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद SD.Rajkumar राजकुमार, निरीक्षक थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद दिनांक 09.05.2023 At. 5.15 Pm अज थाना - हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा

नम्बर- 12 दिनांक 09.05.2023 U/S 409,420,201,120बी भा0द0स0 व 13(1)सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 PS ACB फरीदाबाद दर्ज रजि0 किया जाकर FIR की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार कमप्युटराईज द्वारा तैयार करके बदस्त स्पेशल सि0 प्रतीम न0 2076/फरीदाबाद के की जाकर ईलाका मजिस्ट्रैट वा सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा में भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आईन्दा सि0 के की जाकर निज्द INSP सोरन लाल सिह के हवाले की जायेगी । नोटः- यह मुकदमा INSP बिजेनद्र सिह की हाजरी में दर्ज किया जा रहा है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SHORAN LAL **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 113GGN **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Anil Kumar

Rank (पद): Asst. Superitendant of Police

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.